(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं. 42/2017- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 13 अक्तूबर, 2017.

सा.का.नि. ---- (अ) आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1070 (अ), तारीख 28 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 25/2**017**-केन्द्रीय कर, तारीख 28 अगस्त, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 और केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 64 में निर्दिष्ट गैर कराधेय ऑन लाइन प्रापतिकर्ता को भारत के बाहर किसी स्थान से ऑन लाइन सूचना और डाटा बेस पहुंच या पुन:प्रापति सेवा की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा जुलाई, 2017 अगस्त, 2017, सितंबर, 2017 के लिए प्ररुप जीएसटीआर-5क में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा का 20 नवंबर, 2017 तक विस्तार करते हैं ।

2. यह अधिसूचना 15 सितंबर, 2017 को प्रवृत्त मानी जाएगी ।

(फा. सं. 349/74/2017-जीएसटी (पीटी)

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार